न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 763/2022
अनवान : –

1. गुलाबराम सहु पुत्र जालूराम जाति जाट साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

– **वादी**

बनाम्

1. दिलीपचन्द सहू पुत्र जालूराम जाति जाट साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू हाल निवास 20 जनपथ रोड़, दानापानी के पास श्याम नगर जयपुर।
2. पतिदेवी पुत्री जालूराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर हाल निवास कुल्वासर तहसील रावतसर।
3. शान्ति पुत्री जालूराम पत्नी भंवरलाल जाति जाट साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर हाल निवास कुल्वासर तहसील रावतसर।
4. चन्द्रावली पुत्री जालूराम पत्नी गंगाजल जाति जाट साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर हाल निवास सावर तहसील सरदारशहर।
5. ओमप्रकाश सिहाग पुत्र सावित्री पुत्री जालूराम जाति जाट साकिन सावर तहसील सरदारशहर।
6. मांगीलाल पुत्र सावित्री पुत्री जालूराम जाति जाट साकिन सावर तहसील सरदारशहर।
7. सविता पुत्री सावित्री पत्नी हरिराम जाति जाट साकिन सावर हाल नैणासर तहसील सरदारशहर।
8. कलावती पुत्री सावित्री पत्नी मोहरसिंह जाति जाट साकिन हाल नैणासर तहसील सरदारशहर।
9. प्रमेश्वरी पुत्री सावित्री पत्नी मनीराम जाति जाट साकिन नैणासर तहसील सरदारशहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 11/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 259/259 की कुल 21.0243 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि मृतक जालूराम पुत्र भींयाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जालूराम पुत्र भींयाराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है जालूराम पुत्र भींयाराम का देहान्त हो चुका है जालूराम पुत्र भींयाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 9 है जो जालूराम पुत्र भींयाराम के नाम दर्ज भूमि को [illegible] के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की [illegible] प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 की मृतक बहिन सावित्री के [illegible] पुत्रिया है जो की [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना [illegible] भी हक हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 259/259, शपथ पत्र बाबत सदस्य, मृत्यु प्रमाण पत्र जालुराम, मृत्य प्रमाण पत्र सावित्री आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता जालूराम पुत्र भींयाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:24 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बह[illegible]र [illegible]न किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया ग[illegible] के अनुसार रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 259/259 की कुल [illegible]0243 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

मृतक जालूराम पुत्र भींयाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता जालूराम पुत्र भींयाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथएवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा जालूराम पुत्र भींयाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 259/259 की कुल 21.0243 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि मृतक जालूराम पुत्र भींयाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक जालूराम पुत्र भींयाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:24 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 763 / 2022
अनवान : –

1. गुलाबराम सहु पुत्र जालूराम जाति जाट साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. दिलीपचन्द साहू पुत्र जालूराम जाति जाट साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू हाल निवास 20 जनपथ रोड़, दानापानी के पास श्याम नगर जयपुर।
2. पतिदेवी पुत्री जालूराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर हाल निवास कुल्यासर तहसील रावतसर।
3. शान्ति पुत्री जालूराम पत्नी भंवरलाल जाति जाट साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर हाल निवास कुल्यासर तहसील रावतसर।
4. चन्द्रावली पुत्री जालूराम पत्नी गंगाजल जाति जाट साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर हाल निवास सावर तहसील सरदारशहर।
5. ओमप्रकाश सिहाग पुत्र सावित्री पुत्री जालूराम जाति जाट साकिन सावर तहसील सरदारशहर।
6. मांगीलाल पुत्र सावित्री पुत्री जालूराम जाति जाट साकिन सावर तहसील सरदारशहर।
7. सविता पुत्री सावित्री पत्नी हरिराम जाति जाट साकिन सावर हाल नैणासर तहसील सरदारशहर।
8. कलावती पुत्री सावित्री पत्नी मोहरसिंह जाति जाट साकिन हाल नैणासर तहसील सरदारशहर।
9. प्रमेश्वरी पुत्री सावित्री पत्नी मनीराम जाति जाट साकिन नैणासर तहसील सरदारशहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 763 सन 2022 निर्णय दिनांक -11/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 259 / 259 की कुल 21.0243 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि मृतक जालूराम पुत्र भींयाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक जालूराम पुत्र भींयाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/03/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:24 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर